संख्या- 1285 /पांच-1-2015-5(203)/13

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 01 सितम्बर, 2015

विषयः- प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों में रोगियों को निःशुल्क अल्ट्रासाउण्ड सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों में रोगियों को निःशुल्क चिकित्सीय सुविधा, निःशुल्क दवाईयां, निःशुल्क 100 पैथालाजिकल टेस्ट तथा निःशुल्क एक्स-रे सुविधा उपलब्ध करायी जा रही हैं, परन्तु राजकीय चिकित्सालयों में बी0पी0एल0 कार्ड धारक परिवारों तथा शासकीय कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य मरीजों की अल्ट्रासाउण्ड जॉच हेतु प्रति अल्ट्रासाउण्ड रू0-100/- शुल्क निर्धारित है।

2- प्रदेश की जनता को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु राज्य सरकार कटिबद्ध है। अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों में अल्ट्रासाउण्ड कराने वाले समस्त रोगियों को निःशुल्क अल्ट्रासाउण्ड सुविधा उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क अल्ट्रासाउण्ड की सुविधा तत्काल प्रभाव से लागू होगी। कृपया उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 1285 (1)/पांच-1-2015-5(203)/13, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।

3. मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, उ0प्र0, लखनऊ।
4. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0।
7. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0।
8. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, मण्डलीय चिकित्सालय उ0प्र0।
9. समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला चिकित्सालय (पुरूष/महिला)/संयुक्त जिला चिकित्सालय।
10. प्रभारी कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(यतीन्द्र मोहन)
विशेष सचिव।